>

Title: Need to set up dairy parks on the outskirts of cities and towns in Uttar Pradesh.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): मैं सरकार का ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के पालन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगर-निकाय क्षेत्रों की आबादी के बीच स्थित डेयरियों के मालिकों को इन निकायों के अधिकारियों द्वारा डेयरियां हटाकर शहर से बाहर कहीं ले जाने के नोटिस दिए जा रहे हैं। इन डेयरियों की संख्या शहर के विस्तार एवं आबादी के अनुपात में सैकड़ों-हजारों में है तथा इनमें से अधिकांश डेयरियां दशकों से आबादी क्षेत्र में स्थित हैं और निकटवर्ती निवासियों को रोजमर्रा की शुद्ध दूध की आपूर्ति का काम भी करती है। निस्संदेह इन डेयरियों के कारण शहर के नाली-नालों की सफाई में कठिनाई होती है तथा प्रदूषण एवं गन्दगी की समस्या भी पैदा होती है। स्वाभाविक ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश शहरों को इन समस्याओं से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से किए गए हैं। इन डेयरियों के मालिक शहर से बाहर जाने के लिए तैयार भी है परन्तु इसके लिए वैकल्पिक भूमि की व्यवस्था किया जाना जरूरी है।

मेरा माननीय शहरी विकास मंत्री जी से अनुरोध हे कि वे स्थानीय निकायों/िवकास प्राधिकरणों को शहर की सीमा के बाहर डेयरी पार्क बनाने के आदेश देने का कष्ट करें ताकि इन पार्कों में इन डेयरियों के मालिकों को अपेक्षित जमीन मिल सके। इन पार्कों के निर्माण से शहरों की समस्या तो दूर होगी ही, बड़ी मात्रा में एकत्र होने वाले गोबर का उर्जा उत्पादन तथा जैविक खाद के रूप में उपयोग भी संभव होगा जो डेयरी संचालकों की अतिरिक्त आय का साधन बन कर उन्हें भी लाभ पहुँचाएगा।